न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

विकास यादव बनाम भवंरलाल वगैरह
किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या 353/2025 (अजमेर)

दि०10
23/7/25

	संजू बिश्नोई	
22.07.2025	विकास यादव बनाम भंवरलाल वगैरह (2025/353) यह अपील श्री मुकेश जैन/संजू विश्नोई एडवोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर मु0, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 78/2025 में पारित आदेश दिनांक 14.07.2025 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 23.07.2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
23.07.2025	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील को अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया, जिसे दिनांक 14.07.2025 को दर्ज कर प्रार्थी/अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुन कर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई, इससे असंतुष्ट होकर अपीलांट/प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सुनकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 18.08.2025 है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन हैं तथा उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है। अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner